निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 33/2022 (रसद अपील)

मैसर्स राम किशन धानका, प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत चक चारणवास, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 31.05.2022 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 31.05.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स राम किशन धानका, प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत चक चारणवास, तहसील चौमू, जिला जयपुर को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद् पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्तो तथा निबन्धानों एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार के आदेशों व सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का विक्रय व वितरण यूनिट रजिस्टर तथा ई–सूची में दर्ज राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को डिजीटल राशनकार्ड या

जिला कलक्टर
जयपुर

आधार कार्डों पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक चौमू ने दिनांक 12.07.2017 को ग्राम चारणवास, ग्राम पंचायत धोबलाई में पहुंच कर ग्रामवासियों से पूछताछ के आधार पर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष पेश की है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी को बिना सुने दिनांक 31.05.2022 को एक तरफा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण व धरोहर राशि जब्त करने का आदेश क्रमांक 1272 दिनांक 31.05.222 जारी किया, जो कि अपीलार्थी को आज दिनांक तक नही मिला। जबकि आदेश 1976 के खण्ड 8(2) अन्तर्गत जारी आदेश/निर्णय की प्रति अपीलार्थी को दिये जाने का प्रावधान है ताकि अपीलार्थी उक्त आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सके। दिनांक 13.06.2022 को अपीलार्थी को दूरभाष पर जानकारी हुई कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा जब्त कर ली गई है, जिस पर अपीलार्थी दिनांक 13.06.2022 को ही जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य सभी दस्तावेजो की कॉपी के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 15.06.2022 को प्राप्त हुई, जो अन्दर मियाद छूट सीमा में है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 की कॉपी आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है जबकि नियमानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट उपलब्ध करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक था। जिला रसद अधिकारी द्वारा जानबूझ कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त तथा भारतीय संविधान के आर्टिकल–14 की अवहेलना की है। इसके संबंध में निम्न मामलों AIR 2018 (NOC) 231 (PAT) राम विनोद सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार व अन्य, AIR 2010 (NOC) (Supp) 706, ALL (A), AIR 2016 Patna 148, रामचन्द्र प्रसाद यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य, 1998 पेज 475 कलकत्ता हाई कोर्ट में निर्णित किया गया है। इसी प्रकार कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी नजीर 1988 EFR के पेज नम्बर 475 शाहदत्त हुसैन बनाम सब डिवीजन कन्ट्रोल एवं फूड सप्लाई कटवा के पैरा 10 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है " In the facts of that case before his Lordship, the petitioner by not given copy of the inspection of the report. In fact, had denied the Principles of Natural Justice, at it has been held in para 7 of the said judgement. अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व मामले में कोई जांच नहीं की और ना ही पत्रावली का अवलोकन किया तथा ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया। प्रवर्तक निरीक्षक की जांच रिपोर्ट को साक्ष्य मानकर जो आलोच्य आदेश पारित किया है, जबकि प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को केवल मात्र साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। आदेश एकतरफा होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय, जयपुर ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8(2) की पालना नहीं की, जिसके अंतर्गत प्राधिकारधारक यानि अपीलार्थी को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा ना ही नोटिस तामील करवाया गया एवं ना ही अपीलार्थी को सुना गया, जिससे आलोच्य आदेश निरस्तनीय है। इस संबंध मे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में

जिला कलक्टर
जयपुर

2008(1) ईएफआर 570 हरलाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –" आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि दुकानदार को सुनवाई का अवसर दिया गया एवं उसे सुना गया" जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्तनीय है। "प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 में यह वर्णित है कि दिनांक 12.07.2017 को मौके पर ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि अपीलार्थी की दुकान चक चारणवास ग्राम में स्वीकृत है तथा अपीलार्थी द्वारा राशन का वितरण ग्राम चारणवास में ना करके ग्राम धोबलाई में किया जाता है, जो कि चारणवास से 9 किलोमीटर दूर है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 को सही मानते हुए अपीलार्थी को बिना नोटिस तामील कराए व बिना सुने अपीलार्थी को प्राधिकार की शर्त संख्या 01 का दोषी मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने व धरोहर राशि जब्त करने का एकतरफा आदेश दिनांक 31.05.2022 जारी कर दिया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2012 में स्थान परिवर्तन हेतु जिला रसद कार्यालय जयपुर में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत धोबलाई द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 29.05.2012 व नक्शा तथा प्राधिकार पत्र संलग्न किया गया है। ग्राम पंचायत धोबलाई पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु मात्र खाद्यान्न परिवारों को जो सूची अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई है, उसमें 174 परिवार ग्राम धोबलाई, 61 परिवार स्याऊ तथा 43 परिवार चक चारणवास के है। ग्राम धोबलाई के खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवार अधिक होने के कारण तत्कालीन जिला रसद अधिकारी ने ग्राम पंचायत के अनुरोध पर अपीलार्थी को मौखिक रूप से ग्राम धोबलाई में ही उचित मूल्य दुकान चालू रखने के निर्देश दिये थे। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र स्थान परिवर्तन हेतु जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किया हुआ है, जो मय पंचायत की अभिशंषा जो आदिनांक तक अधीनस्थ कार्यालय (जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय) में विचाराधीन है। अपीलार्थी वर्ष 2012 से निरन्तर ग्राम धोबलाई में वितरण करता आ रहा है। वर्ष 2017 से पूर्व ग्राम चारणवास के उपभोक्ताओं को इस बाबत् कोई शिकायत नहीं की, ना ही अपीलार्थी को व जिला कार्यालय से ग्राम चक चारणवास में दुकान खोलने के निर्देश दिए गए, जबकि समय–समय पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया जाता रहा है तथा पीडीएस ऑर्डर 2001 के पालना में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ–21(28)(33) खा.वि./निरीक्षण/2009 दिनांक 04.10.2009 के अनुसार प्रत्येक 6 माह में एक बार अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया जाता रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता को राशन सामग्री नहीं दिये जाने व अभद्र व्यवहार करने तथा कालाबाजारी करने की कोई शिकायत नहीं की। थोक विक्रेता खाद्यान्न द्वारा विभाग पर ग्राम धोबलाई में अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न की वर्ष 2012 से अब तक निरन्तर आपूर्ति की जाती रही है। विभाग द्वारा वर्ष 2017 से अब तक इसको किसी भी प्रकार अनियमितता नहीं माना है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की बिना जांच किये जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 97/2017 की आर्डरशीट दिनांक 14.07.2017 से 28.04.2022 में अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई नही की गई तथा ना ही नोटिस तामील करवाया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना सुने, बिना गुण व दोष प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट का साक्ष्य मानते हुये एक तरफा आदेश पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी

जिला कलक्टर
जयपुर

ने आलोच्य आदेश पारित करते समय ना ता स्वः विवेक काम में लिया ना ही कोई जांच की, ना पत्रावली व ना ही आदेशों का अवलोकन किया, ना कोई सुनवाई की गई, ना ही कोई साक्ष्य प्राप्त किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की एक तरफा रिपोर्ट को साक्ष्य मानकर उक्त निर्णय पारित किया गया है, जबकि प्रवर्तन निरीक्षक की केवल मात्र रिपोर्ट को साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। बिना साक्ष्य के निर्णय पारित करना न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलार्थी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो की उल्लघंन किया जाना किसी प्रकार साबित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आपेक्षित निर्णय व आदेश दिनांक 31.05.2022 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकारी पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जावे तथा प्राधिकार पत्र कार्यवाही करने की स्वीकृति फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी डीलर की उचित मूल्य दुकान चक चारणवास ग्राम में स्वीकृत है तथा डीलर के द्वारा राशन का वितरण ग्राम चक चारणवास में नहीं करके ग्राम धोबलाई में किया जाता है जो कि चक चारणवास से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। डीलर को नोटिस जारी कर तलब किया गया, परन्तु उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जबाब प्रस्तुत किया । डीलर द्वारा उक्त अनियमितता करके राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 का स्पष्ट उल्लंघन किया है और उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पडा है तथा नियमित मिलने वाली राशन से वंचित हुए है। डीलर को नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी डीलर उपस्थित नहीं हुआ। जो उसे प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 का दोषी सिद्ध करते है एवं उसकी लापरवाही को दर्शाता है। डीलर द्वारा की गई अनियमितता गम्भीर किस्म की होने के कारण अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी का कथन है कि जिला रसद अधिकारी ने ग्राम पंचायत के अनुरोध पर अपीलार्थी को मौखिक रूप से ग्राम पंचायत चक चारण वास के बजाय ग्राम धोबलाई में ही उचित मूल्य दुकान चालू रखने के निर्देश दिये थे। वर्ष 2012 में स्थान परिवर्तन हेतु जिला रसद अधिकारी जयपुर में एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था इसके बावजूद अपीलार्थी को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चक चारणवास के लिए स्वीकृत थी, किन्तु अपीलार्थी द्वारा चक चारणवास के बजाय ग्राम धोबलाई में राशन सामग्री का वितरण किया जाना पाया गया है। अपीलार्थी को इस नियिमतता बाबत जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्र कमांक 7045 दिनांक 18.07.2017, कमांक 327 दिनांक 03.02.2020 एवं कमांक 76 दिनांक 18.01.20212 को नोटिस जारी किये गये है, किन्तु अपीलार्थी कभी भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि

जिला कलक्टर
जयपुर

उसे सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया । इसलिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। एक ग्राम के लिए आवंटित उचित मूल्य दुकान को बिना किसी आदेश के दूसरे ग्राम में संचालित नही किया जा सकता है। अपीलार्थी ने ऐसा करके राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है । फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर